न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग – 1904 – II/16

प्रकरण कमांक –एक/2016 निगरानी

1. श्रीमती लता पत्नि टाईटस चौहान

2. टाइटस चौहान पुत्र स्व.फ्रांसिस टाइटस

निवासीगण सिद्धेश्वर मेला ग्राउन्ड,

छत्री रोड शिवपुरी मध्य प्रदेश --आवेदकगण

विरुद्ध

1. कोषाध्यक्ष, श्री सिद्धेश्वर हरिहर प्रेम मंदिर

प्रबंधक समिति, शिवपुरी (मध्य भारत)

2. मध्य प्रदेश शासन

व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

3. तहसीलदार , तहसील शिवपुरी --अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 – अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 47/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–16 के विरुद्ध)

कृ0पृ030--2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 1907–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड़ एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण कमांक 47/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रथम प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 47/2015–16 अपील में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31–5–16 को आवेदक की अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील में अंतिम आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी विधिअनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक चाहे तो विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने के स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	